[illegible]यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना,(जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— **श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)**

राजस्व वादपत्र संख्या :— **54/2022**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबूराम पुत्र वगताराम उम्र 53 वर्ष जाति मेगवाल निवासी दूदासर पटवार क्षेत्र मेहलू तहसील धोरीमना (बाड़मेर)		1. भगाराम पुत्र खीयांराम उम्र 50 वर्ष जाति मेगवंशी निवासी मेहलू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 2. भोमाराम पुत्र बुलाराम उम्र 50 वर्ष जाति मेगवाल निवासी पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बूठ जेतमाल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू : 04/07/22

अधिवक्तागण :

01. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता वादी

02. श्री रामनिवास विशनोई, अधिवक्ता प्रति. सं. 01

—::निर्णय::—

दिनांक : 08/12/22

[illegible] वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा पेश का निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की संयुक्त खातेदारी सरहद मौजा मेहलू पटवार क्षेत्र मेहलू तहसील धोरीमना में खेत खसरा नम्बर 347/2 क्षेत्रफल 0.4856 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम की कृषि भूमि का आया हुआ है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस साथ प्रस्तुत है। जो आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया जाएगा। कि उपरोक्त खेत [illegible] क्षेत्रफल 0.4856 हेक्टेयर में वादी का कुल रकबे में 74051/109260 हिस्सा [illegible] 2—00 बीघा खातेदारी भूमि को दिनांक 20.10.2020 पंजीयन संख्या [illegible] से श्री वरीगाराम पु. किसनाराम, संकू पत्नी किसनाराम, सताराम, भगाराम पि. [illegible] 11.02.2022 पंजीयन संख्या 202203110100277 उप पंजीयक धोरीमना से श्रीमती सकुदेवी पत्नी किशनाराम, सताराम पुत्र खींयाराम जाति मेगवंशी निवासी दूदासर मेहलू रकबा [illegible]19 बीघा से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से भूमि क्रय की थी। बेचान दस्तावेज की नकल साथ पेश है। कि जिसका नामान्तकरण के जरिये वादी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। उसी अनुसार वादी अपने कुल रकबे का 74051/109260 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 01 का कुल रकबे

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:53 IST
Reason: SelfAttested

08.12.22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

[illegible]3/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का कुल रकबे में 81/2428 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है, उसी अनुसार वादी अपनी खातेदारी घोषणा करवाना चाहते है। कि उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 347/2 क्षेत्रफल 0.4856 हेक्टेयर मौजा मेहलू पटवार क्षेत्र मेहलू तहसील धोरीमना में वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी का खेत में से वादी ने रकबा 2.00 बीघा का दिनांक 20.10.2020 व दिनांक 11.02.2022 को भूमि क्रय की थी उसी समय संलग्न नक्शा में एबीसीडी अनुसार, बेचानकर्त्ताओं द्वारा वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया था, जिस पर वादी काबिज काश्त हैं वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि को प्राकृतिक खाद, बीज डालकर भूमि को उपजाउ बनाया, तथा मौके पर वादी के हिस्से में तारबन्दी/बाड़ की हुई हैं, वादी का आवासीय सरचंनाए स्थापित की हुई हैं बाहमी बंटवारा माफीफ वादी का कब्जा काश्त है। भूमि का बेचानकर्त्ताओं द्वारा बेचान कर मौके पर वादी को अपना कब्जा सौंप दिया था जिस पर खरीद से आज दिन तक वादी का बतौर मालिक, खातेदार, बैराक—टोक, खुल्लम—खुल्ला कब्जा—काश्त चला आ रहा है। कि भूमि संयुक्त खातेदारी में होने एवम् प्रत्येक खातेदारान् का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा खुल्ला हुआ नहीं होने से पक्षकारान् के मध्य विवाद रहता है वादी को अपने हिस्से की भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से त्रणी आदि प्राप्त करने में भी अड़चने आती है। प्रतिवादीगण की सह—खातेदार भूमि संयुक्त खातेदारी में होने का लाभ उठाकर अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने पर उतारू रहते है अतः वादी माफिफ कब्जा—काश्त, बाहमी बंटवारा व बेचान दस्तावेज में वर्णित अपने कुल रकबे का 74051/109260 हिस्से यानि रकबा 2—00 बिघा की भूमि को विभाजित करवाना चाहता है। कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर पटवार मण्डल मेहलू ग्राम मेहलू के खसरा नम्बर 347/2 क्षैत्रफल 0.4856 हेक्टेयर में वादी का 74051/109260 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में वादी का कुल रकबे में 74051/109260 हिस्से में बाहमी बंटवारा काबिज काश्त अनुसार अलग करवाने का अधिकारी है। इसके साथ ही, वादी अपने पक्ष में एवं प्रतिवादीगण एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि वर्णिताअनुसार बाहमी बंटवारा में काशत करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा करे जिसके लिये यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश है। कि बिनायदावा जब वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में अकिंत हुई तब, अरसा 25 रोज पूर्व वादी को क्रय सुदा भूमि से वंचित रखने के लिए, अवैध कब्जा करने की धमकिया दी गयी तब, प्रतिवादीगण वादी की भूमि की तारबन्दी तौड़कर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की तब वादी को उनके कब्जे काश्त में बेदखल करने की कोशिश की गयी तब तब वादकारण बमुकाम ग्राम मेहलू पटवार क्षैत्र मेहलू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में पैदा हुआ है तब वादी को वाद लाना लाजमी हो गया है। वादी को भय व खतरा है कि प्रतिवादीगण व उनके परिवार के सदस्य एवं अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर रातो—रात वादी के उपरोक्त खसरे की भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन कब्जा कर लेंगे और वादी को प्रतिवादीगण व उनके परिवार के सदस्य लगातार उपरोक्त खसरे की भूमि पर से बेदखल कर देने की धमकियां दे रहे है। कि वादग्रस्त आराजी को विभाजित करने की सहायता मांगी जाने के कारण भूमिधारी तहसीलदारजी को पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। कि वादग्रस्त भूमि मौजा मेहलू पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमना में स्थित होने से एवं वाद कारण मौजा मेहलू पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमना में पैदा होने से यह वाद माननीय न्यायालय के स्थानीय व आर्थक क्षेत्राधिकार का है। कि वाद अन्तर्गत धारा 88, [illegible] काश्तकारी अधिनियम के तहत होने से निर्धारित न्यायशुल्क के रूप में 5/— [illegible] के साथ पेश है। वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत किया जा रहा है।

कि वादी की इस्तदुआ हैं कि निम्नांकित डिक्री बहक वादी विरूद्ध [illegible] निम्न प्रकार सादिर फरमाई जावें :—

कि पटवार मण्डल मेहलू ग्राम मेहलू के नम्बर 347/2 क्षैत्रफल 0.485[illegible] हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में वादी का कुल रकबे का 74051/109260 हिस्से यानि रकबा 2.00 बीघा की भूमि वादी की खातेदारी घोषित किया जावे। कि बाद घोषणा वादी के कुल रकबे का 74051/109260 हिस्से यानि रकबा 2.00 बीघा की भूमि का भौतिक कब्जे—काश्त व आवास व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुये शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:53 IST
Reason: SelfAttested

08.12.22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

[illegible]दीगण सह–खातेदारान् से विभाजित कर पृथक खाता कायम किया जावे। कि बंटवारा बाद प्रविादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के बंट की भूमि का प्रतिवादीगण व उनके परिवार के सदस्य कब्जा–काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे एवम् मौके व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। कि वाद का खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। कि अन्य सहायक जो वाद पत्र की जांच से वादी के पक्ष में प्रमाणित हो दिलवाई जावें तथा धारा 209 रा.का.अधि. के तहत वादी इस्तदुआ प्राप्त करने की अधिकारी हो वो दिलवाई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजि. डाक तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी सं. 01 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा वादी के वाद पत्र सभी कथनों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि पटवार मण्डल मेहलू के खंसरा सं. 347/2 रकबा 0.4856 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में प्रतिवादी सं. 01 का कुल रकबे का 13/45 हिस्से यानी 0–18 बीघा की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी घोषित करते हुए शेष सह– खातेदारों से वाद ग्रस्त आराजी का विभाजन करते हुए खाता व लगान पृथक से कायम किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं. 01 द्वारा वादी के कथनों को स्वीकार किये जाने पर प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया। साक्ष्य वादी के दौरान वादी द्वारा साक्ष्य शपथपत्र पी0 डब्लू 01, गवाह का साक्ष्य शपथपत्र पी0 डब्लू 02 पेश किये गये जिन्हें सामिल मिसल किया गया, वादी एवं गवाह के बयानों को कलमबद्ध किया गया जिनकी जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कि गई। साक्ष्य वादी के दौरान विभिन्न दस्तावेजात् को प्रदर्श किया गया। प्रदर्श पी. 01 (वादग्रस्त आराजी खसंरा सं. 347/2 की सम्वत् 2077 की जमाबंदी), प्रदर्श पी. 02 (वादग्रस्त आराजी खसंरा सं. 347/2 का नजरी नक्शा) प्रदर्श पी. 03ए (बैयनामा) प्रदर्श पी. 04 (म्यूटेशन सं. 701 दिनांक 05.08.2021) प्रदर्श पी. 05ए (बैयनामा) प्रदर्श पी. 06 (म्यूटेशन संख्या 717 दिनांक 12.02.2022) किये गये। अधिवक्ता वादी द्वारा पत्रावली पर "वादीसाक्ष्य और नहीं पेश करना चाहता हूँ" का कथन करने पर वादीसाक्ष्य को बंद किया जा कर पत्रावली को प्रतिवादी साक्ष्य में नियत किया गया। प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान प्रतिवादी सं. 02 द्वारा साक्ष्य शपथपत्र डी. डब्लू 01, गवाह सताराम पुत्र खिंयाराम का साक्ष्य शपथपत्र डी. डब्लू 02 पेश किया जिन्हें सामिल मिसल किया गया, प्रतिवादी सं. 01 एवं गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये जिनकी जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा कि गई। प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान प्रदर्श डी. 01 (वादग्रस्त आराजी खसंरा सं. 347/2 की सम्वत् 2077 की जमाबंदी), प्रदर्श डी. 02 (वादग्रस्त आराजी खसंरा सं. 347/2 का नजरी नक्शा) किये गये। प्रतिवादी अभिवक्ता द्वारा पत्रावली पर और साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन किये जाने पर पत्रावली पर साक्ष्य प्रतिवादी को बंद किया जा कर पत्रावली को अन्तिम बहस में नियत किया गया।

हमने विद्वान अभिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुत : प्रदर्श पी. 01 एवं प्रदर्श डी. 01 जमाबंदी सम्वत् 2077 ग्राम मेहलू, पटवार हल्का– मेहलू तहसील–धोरीमना के खसरा सं. 347/2 रकबा 0.4856 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम का गहनतां से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी में वादी 74051/109260 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 01 भगाराम पुत्र बींजाराम 13/45 हिस्से का खातेदार–काश्तकार दर्ज राजस्व रेकर्ड हैं। वादी एवं प्रतिवादी के जबाब में जमाबंदी में दर्ज हिस्से [illegible] खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 दोनों द्वारा जितने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अनुतोष चाहा गया है उतने हिस्से [illegible] आराजी में वादी व प्रतिवादी सं. 01 बतौर खातेदार दर्ज है लिहाजा [illegible] हिस्से की आराजी का बाई–मिट्स–एण्ड–बाउण्ड्स के बटवाड़ा की डिक्री की जाकर बटवाड़ा कर[illegible] जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:53 IST
Reason: SelfAttested

08.12.22
सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

–::आदेश::–

अतः माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा– मेहलू, पटवार हल्का मेहलू, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 347/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आई हुई है। उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं. 156 के खसरा सं. 347/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का बंटवारा बाई–मिट्स–एण्ड–बाउण्ड्स के मौके पर करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किया जावें तथा शेष खाता बदस्तूर रखें। तहसीलदार धोरीमना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित् करें। वादी को पाबंद किया जाता है कि मौके पर उपस्थित रहे। वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करें। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा. मि. हो। तहसीलदार धोरीमना को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना ★ जिला–बाड़मेर ★

08.12.22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक– 08/12/2022 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

08.12.22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:53 IST
Reason: SelfAttested